भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4398

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0

†4398. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 2.0 आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजना के तहत कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है तथा पात्र लाभार्थियों को इसका वितरण किस प्रकार किया जाएगा;
(ग) सरकार किस प्रकार यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि यह योजना शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा कर सके, और
(घ) सरकार द्वारा देशभर में इसके सफल कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से **(घ)** : जी, हां। प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और दिनांक 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सके।

चूंकि पीएमएवाई-यू **2.0** एक मांग आधारित योजना है, इसलिए इस योजना के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए कोई विशिष्ट बजटीय आवंटन नहीं है। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं का निरूपण और क्रियान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। मांग के आकलन और सत्यापन के बाद, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद, इन्हें केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केंद्रीय सहायता की स्वीकृति के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है। हालाँकि, पात्र लाभार्थियों के लिए पीएमएवाई -यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर करने वाले 32 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 6.92 लाख से अधिक आवासों को सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा विभिन्न घटकों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है तथा लाभार्थियों के लिए न्यूनतम अनिवार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हिस्सा निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की वित्तीय सहायता का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**पीएमएवाई-यू** 2.0 **घटक**		
		बीएलसी और एएचपी	**एआरएच**	**आईएसएस**
1	**असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली**	**केंद्र सरकार. - 2.25 लाख रुपये प्रति यूनिट** **राज्य सरकार - न्यूनतम** 0.25 **लाख रुपये प्रति यूनिट**	**प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान** **भारत सरकार : 3,000 रुपये प्रति वर्गमीटर प्रति यूनिट** **राज्य का हिस्सा:** 2,000 **रुपये प्रति वर्गमीटर प्रति यूनिट**	**गृह ऋण सब्सिडी – केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रति यूनिट 1.80 लाख रुपये (वास्तविक रिलीज) तक**
2	**अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्र**	**केंद्र सरकार. - 2.50 लाख रुपये प्रति यूनिट**		
3	**अन्य सभी राज्य**	**केंद्र सरकार. - 1.50 लाख रुपये प्रति यूनिट** **राज्य सरकार – न्यूनतम 1.00 लाख रुपये प्रति यूनिट**		

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) उपयुक्त माध्यमों से विभिन्न घटकों के अंतर्गत आवास की मांग का आकलन कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह योजना शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रभावी ढंग से सहायता करती है, मंत्रालय द्वारा एक एकीकृत वेब-पोर्टल विकसित किया गया है। लाभार्थी पोर्टल पर सभी विवरणों के साथ आवास की मांग के लिए स्वयं को पंजीकृत भी कर सकते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/यूएलबी योजना दिशानिर्देशों की पात्रता मानदंडों के अनुसार लाभार्थियों को मान्य करते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए इस योजना दिशानिर्देश और एकीकृत वेब-पोर्टल **https://pmay-urban.gov.in** पर देखा जा सकता है।

पीएमएवाई-यू 2.0 की योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, इस योजना की निगरानी तीनों स्तरों पर की जानी है: शहर, राज्य और केंद्र सरकार। सीएसएमसी परियोजना निरूपण और परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी करेगा, जिसमें अन्य के साथ-साथ आवासों की चरण-वार प्रगति और वित्तीय प्रगति आदि शामिल हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों को विभिन्न स्तरों पर मिशन की प्रगति की प्रभावी और कुशल निगरानी के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करना होगा। इसके अलावा, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मिशन के बीएलसी/एएचपी/एआरएच घटकों के तहत निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और प्रगति की निगरानी करने के लिए राज्य स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (एसएलटीसी)/शहर स्तरीय तकनीकी प्रकोष्ठ (सीएलटीसी), तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों (टीपीक्यूएमए) को शामिल किया जाना अनिवार्य है।

*****